

## अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व शिब नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, एग्रीजमन्ट या अन्य) जैसे की दिशती में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

एकल शिब्ष्म केवल आवासीय प्रयोजनार्थ

का.लय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 679 दिनांक 19/08/2020

संशोधन ① श्रीमती शशि कला वर्मा ② श्रीमती सुशीला जोशी

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 एवं ③ श्रीमती राजकुमारी

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय P-105 17 ई 497 चोपरासकी

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 12361/- रुमा रु. 12361/-

जारी रसीद संख्या 7069/3114/2115 रु. 12361/-

दिनांक 19/08/2020 को जमा करा दी है ।

10/08/2020

सहायक नगर नियोजक  
नगर निगम, जोधपुर

जी-1  
आवासीय

सुशीला जोशी  
9444524134